शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
विषय विशेषज्ञ, विधि सेवा (शासन स्तर हेतु)

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–116099/XXVI/एक(12)/2021, दिनांक 24–04–2023 के क्रम में राजकीय कार्यों की प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा को बढावा देने तथा गति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत शासन के आदेश संख्या–425825, दिनांक 24–08–2026 के अनुपालन में शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के सचिव के अधीनस्थ निःसंवर्गीय एवं नितांत अस्थायी पद पर अनुबन्ध के आधार पर विधि सेवा के विषय विशेषज्ञ के एक पद, जिसका मानदेय अधिकतम रू0 1.00 लाख होगा, हेतु hire and fire basis पर निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. विधि स्नातक।
2. मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/मा0 सर्वोच्च न्यायालय में 05 वर्ष की प्रैक्टिस।
3. Environmental Law में Degree तथा ऐसे Cases को Handle करने के संबंध में 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान/वरीयता दी जायेगी।

4. आवेदन हेतु आवेदक अपना CV, शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन दिनांक 22 सितम्बर, 2026 के अपरान्ह 05:00 बजे तक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून–248001 के कार्यालय में डाक से अथवा By-Hand जमा कर सकते हैं, जिससे आवेदनों को शासन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर निदेशक
कृते निदेशक
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।